मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी – मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य – सूची

गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 1992 (फाल्गुन 8, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, अशोक शुक्ला, जालम सिंह पटेल, सदस्य, भोपाल के टी.बी. अस्पताल में एक रोगी द्वारा आत्म हत्या किये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, मदन गोपाल सिंह, सदस्य, रायपुर जिले के पिथौरा एवं सरगुजा जिले के चांदनी बिहारपुर थानान्तर्गत पुलिस की पिटाई से दो व्यक्तियों की हुई मौत की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

निर्धारित समय			
2 घन्टे 30 मि.	(1)	मांग संख्या 11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय.
2 घन्टे 30 मिनिट	(2)	मांग संख्या 23	जल संसाधन विभाग.
		मांग संख्या 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
		मांग संख्या 48	नर्मदा घाटी विकास.
		मांग संख्या 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य.
		मांग संख्या 40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 53	आयाकट विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा 30 मिनिट	(3)	मांग संख्या 6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग.
		मांग संख्या 71	सार्वजनिक उपक्रम.

5. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 48) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विरेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांकः 26 फरवरी, 1992